न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री भवानी सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या — 01/2021

सालय/प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान/ अप्रार्थीगण
1. सरकार		1. नत्था पुत्र अन्ना के कायम मुकाम 2. केसा पुत्र अन्ना के कायम मुकाम जातिगण घांची निवासीगण कोशेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री पीताराम परिहार, विद्वान अभिभाषक गैरसायल की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के अन्तगर्त

—:आदेशः— दिनांक 22/3/2024

1. इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बाली ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.1971 में गैरसायल नत्था व गैरसायल केसा के दो अलग अलग प्रकरणों में 30—30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि से कम मानते हुए सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी। तदुपरांत राजस्व (सीलिंग) विभाग जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 30.03.1981 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 10.12.1971 को राज्यहीत के प्रतिकुल मानते हुए प्रकण को री—ओपन कर कानूनी प्रावधानों के अनुसार जांच कर निर्णय देने हेतु न्यायायल अतिरिक्त जिला कलेक्ट, पाली को भिजवाया गया। तत्पश्चात न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व (सीलिंग) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश की पालना में प्रकरण में जांच कर अपने निर्णय दिनांक 21.12.2004 के तहत गैरसायल के पास 3.61 स्टेण्डर्ड एकड भूमि (जिसकी 18 बीघा 06 बिस्वा चाही भूमि होती है) निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया था।

2. तत्पश्चात गैरसायल द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 21.12.2004 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.10.2013 के तहत् गैरसायल की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय दिनांक 21.12.2004 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया कि दिनांक 01.4.1966 को गैरसायल के परिवार के सदस्यों व निर्धारतीयों के पास कितनी भूमि थी,की जांच करने के उपरान्त उभय पक्षकारान को सुनकर बाद जांच नये सिरे से निर्णय पारित करे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

3. माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 15.10.2013 की पालना में प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार ने वकालतनामा पेश किया।

4. तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस हेतु मुकर्र की गई। बहस उभय पक्ष सूनी गई।

5. गैरसायल के विद्धान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान निवेदन किया की इस प्रकरण मे सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू जिस पर निर्णय किया जाना हैं वो यह हैं कि दिनांक 01.4.1966 को गैरसायल नत्था व गैरसायल केसा के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी तथा उनके पास निर्धारित भूमि कितनी थी ? माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने भी अपने निर्णय दिनांक 15.10.2013 में इसी निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया हैं।

6. गैरसायल के विद्धान अभिभाषक ने निवेदन किया की तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत गैरसायल केसा के वारिसान की सूची जो प्रदर्श सं. 01 पर हैं तथा अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत नत्था के वारिसान की सूची जो प्रदर्श सं. 02 पर हैं। गैरसायल केसा व नत्था के उक्त दोनों प्रदर्शित वारिसान सूची में अंकित वारिसान के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नहीं हैं। इस प्रकार दिनांक 01.04.1966 को गैरसायल नत्था के परिवार में कुल 10 सदस्य थे जो सीलिंग कानून अनुसार 60 स्टेण्र्डड एकड़ भूमि धारण करने के अधिकारी हैं तथा गैरसायल केसा के परिवार में कुल 05 सदस्य थे जो 30 स्टेण्र्डड एकड़ भूमि धारण करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार दिनांक 01.4.1966 को दोनों गैरसायल 90 स्टेण्र्डड एकड़ भूमि धारण करने के अधिकारी हैं जबकि दोनों गैरसायल के पास 63.61 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि ही हैं जो सीलिंग सीमा से कम होने से अधिग्रहण योग्य नहीं हैं। अतः गैरसायलान के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाने के आदेश फरमावें।

7. राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया की तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत गैरसायल नत्था के वारिसान की सूची अनुसार दिनांक 01.4.1966 को गैरसायल नत्था के परिवार में कुल 05 सदस्य ही थे तथा केसा के परिवार में कुल 04 सदस्य ही थे। इसके अलावा ओर कोई वारिसान नहीं था। इस प्रकार गैरसायल नत्था व केसा दोनों 30+30=60 स्टेण्र्डड एकड़ भूमि ही रखने के अधिकारी हैं जबकि गैरसायल के पास दिनांक 01.4.1996 को 63.61 स्टेण्र्डड एकड़ भूमि थी जो सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य हैं।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन् किया तथा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश को मध्यनजर रखते हुए मिसल पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का कोशेलाव के बयान व राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वंत 2013–14 के अवलोकन से गैरसायलान नत्था व केसा के पिता अन्ना के नाम दिनांक 25.02.1958 को निम्नानुसार भूमि धारित थीः–

खाता सं.	जवाई (1)	चाही	योग
30 व 31	170 बीघा 02 बिस्वा	35 बीघा	205 बीघा 02 बिस्वाा

पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 37 व 40 जो अन्ना के निधन होने से गैरसायलान नत्था व केसा के नाम फोतेदगी नामान्तरकरण ग्राम पंचायत कोशेलाव द्वारा दिनांक 27.7.1961 को स्वीकृत किये गये। इससे स्पष्ट होता हैं कि गैरसायलान नत्था व केसा के पिता अन्ना का निधन दिनांक 01.04.1966 से पूर्व ही हो चुका था।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

12. अतः गैरसायलान के कायम मुकाम से 3.61 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती हैं कि वे गैरसायलान के कायम मुकाम से उक्त भूमि अधिग्रहण करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें एवं 01 माह की अवधी में विकल्प प्राप्त कर किस्म जवाई की 10 बीघा 15 बिस्वा तथा किस्म चाही की 18 बीघा 06 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण करें। गैरसायलान के कायम मुकाम द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं तो उपरोक्तानुसार भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण करें। अगर गैरसायलान के कायम मुकाम के पास भारमुक्त भूमि उपलब्ध होना नहीं पाया जाता हैं तो गैरसायलान व उनके कायम मुकाम द्वारा हस्तान्तेरित की गयी भूमि को पश्चात्वर्ती क्रम में विक्रय की गयी भूमि का अधिग्रहण कर पालना रिपोर्ट एक माह की अवधी में इस न्यायालय को भेजी जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 22/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)